अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1062 (अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से परामर्श करके भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2016 कहा जाएगा।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 सूची।। में :-
- (क) भाग-क में राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में, तालिका में प्रथम कॉलम मे आने वाली छत्तीसगढ़ प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"छत्तीसगढ़		
(1)	मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
(2)	अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
(3)	कृषि उत्पादन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
(4)	सरकार के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(5)	महानिदेशक, प्रशासिनक अकादमी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(6)	प्रधान सचिव, एचसीएम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(7)	मुख्य चुनाव अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(8)	सचिव, सरकार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(9)	राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(10)	आयुक्त, वाणिज्य कर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(11)	आयुक्त, छत्तीसगढ़ सरकार, नई दिल्ली	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(12)	रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(13)	श्रम आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(14)	उत्पाद आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(15)	आयुक्त, जनजातीय विकास	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(16)	आयुक्त, उद्योग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(17)	विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(18)	मंडल आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(19)	आयुक्त, कृषि	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(20)	आयुक्त, परिवहन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(21)	आयुक्त, भूमि अभिलेख	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14";

(ख) "भाग ख" में राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ट वेतनमान में - वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता पाने वाले पदों सहित - वेतन लेने वाले पदों में छत्तीसगढ़ प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा - अर्थात् –

"छत्तीसगढ़	
(1)	समाहर्ता .
(2)	कार्यकारी निदेशक, डीआरडीओ और पदेन, सीईओ, जिला पंचायत/अपर समाहर्ता
(3)	नगर निगम आयुक्त
(4)	सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव
(5)	निदेशक, सार्वजनिक अनुदेश
(6)	निदेशक, महिला और बाल विकास
(7)	निदेशक, शहरी प्रशासन
(8)	निदेशक, पंचायत एवं समाजिक कल्याण
(9)	निदशक, नागरिक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता सुरक्षा
(10)	सचिव, लोक सेवा आयोग
(11)	निदेशक, कोषागार एवं लेखा
(12)	निदेशक, संस्थागत वित्त
(13)	निदेशक, बजट
(14)	निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा".

[फा. सं. 11031/06/2015 -अ.भा.से.-II-ख]

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

टिप्पणी : - प्रधान नियम भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि. सं. 870(अ) दिनांक 08 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित सा.का.नि. और संख्या द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2016

G.S.R. 1062 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Chhattisgarh hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,—
- (a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry "Chhattisgarh" occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

"CH	HATTISGARH	
(1)	Chief Secretary	Level 17 in the pay matrix
(2)	President, Board of Revenue	Level 17 in the pay matrix
(3)	Agriculture Production Commissioner	Level 17 in the pay matrix
(4)	Principal Secretary to Government	Level 15 in the pay matrix
(5)	Director General Administrative Academy	Level 15 in the pay matrix
(6)	Principal Secretary to HCM	Level 15 in the pay matrix
(7)	Chief electoral Officer	Level 14 in the pay matrix
(8)	Secretary to Government	Level 14 in the pay matrix
(9)	Member Board of Revenue	Level 14 in the pay matrix
(10)	Commissioner, Commercial Taxes	Level 14 in the pay matrix